

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज  
मगीदेवी बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार देचू )

नं० व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

सू.अ.अ. अपील संख्या 248 / 2019

15.01.20

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मगीदेवी पत्नी चनणाराम मेघवाल पता गांव सुखमण्डला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.11.2019 में उसके द्वारा (1) देचू पटवार हलका के अधीन गांव अणदनगर, ग्राम पचायत गुमानपुरा, देचू जमीन से संबंधित मेरे पिता दरामाराम/गोरखाराम मेघवाल के नाम से सन् 2000 की सम्पूर्ण जमीन की नकल व नक्शा उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार देचू ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार देचू ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.( तहसीलदार देचू ) से जरिये पत्रांक रसद/सूचना अधिकार / 2020/31-32 दिनांक 13.01.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें बतलाया कि मांगीदेवी पत्नी चनणाराम द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार कार्यालय के पत्रांक/सू.अ./2019/6040 दिनांक 31.12.2019 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।